वित्त समिति की 19वीं बैठक दिनांक 08.09.2022 का कार्यवृत्त

वित्त समिति की 19वीं बैठक दिनांक 08.09.2022 को समय प्रातः 11.00 बजे से विश्वविद्यालय सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :–

01	प्रो0 ओंकार सिंह , कुलपति, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	अध्यक्ष
02	श्री हरीश सिंह बिष्ट, अनुसचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
03	श्री श्रीप्रकाश तिवारी, उप–सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
04	श्री एम0 एम0 सेमवाल, अपर सचिव, उच्च शिक्षा,उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
05	श्री अरविन्द सिंह पांगती, सयुंक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
06	श्री आर0 के0 श्रीवास्तव, अपर सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
07	डॉ0 अलकनंदा अशोक, डीन कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी, पंतनगर (कुलपति,गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नामित)	सदस्य
08	डॉ0 रवि कुमार, प्रोफेसर, आई0आई0टी0 रूड़की (निदेशक, आई0आई0टी0 रूड़की के नामित)	सदस्य
09	श्री बिक्रम सिंह जंतवाल, वित्त नियंत्रक, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून	सदस्य / सचिव
10	श्री आर0 पी0गुप्ता, कुलसचिव, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	आमंत्रित सदस्य

सर्वप्रथम मा0 कुलपति महोदय द्वारा वित्त समिति में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात बैठक आरम्भ हुई तथा एजेण्डावार निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	वित्त समिति में प्रस्तुत प्रस्ताव का औचित्य	वित्त समिति का निर्णय (विनिश्चिय)
बिन्दु संख्या 01	वित्त समिति की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन		वित्त समिति द्वारा 18वीं वित्त समिति के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
बिन्दु संख्या 02	वित्त समिति की 18वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही सूचना।		वित्त समिति द्वारा 18वीं वित्त समिति की कृत कार्यवाही पर संतोष प्रकट किया गया।
बिन्दु संख्या 03	वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून का वित्तीय वर्ष **2021–22** हेतु वास्तविक आय–व्ययक वित्त समिति के अअनुमोदनार्थ प्रस्तुत :– **वास्तविक आय : रू0 33.26 करोड़** **वास्तविक व्ययः रू0 12.23 करोड़**	वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु अनुमानित आय रू0 24.74 करोड़ के सापेक्ष **रू0 33.26** करोड़ की वास्तविक आय तथा रू0 18.47 करोड़ के अनुमानित व्यय के सापेक्ष **रू0 12.23 करोड़** का वास्तविक व्यय हुआ है। अतः वितीय वर्ष 2021–22 का वास्तविक आय एवं व्यय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	वित्त समिति द्वारा चर्चा उपरांत विगत वित्तीय वर्ष 2021–22 के वास्तविक आय–व्ययक पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया । वास्तविक आय : रू0 33.26 करोड़ वास्तविक व्यय : रू0 12.23 करोड़
बिन्दु संख्या 04	वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून का चालू वित्तीय वर्ष **2022–23** हेतु अनुमानित आय–व्ययक अनुमोदनार्थ :–	चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु अनुमानित / विस्तृत आय–व्ययक पुस्तिका तैयार कर सलंग्न है। **आय मद** :– मुख्यतः परीक्षा	वित्त समिति द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 की आय मदों मे शासकीय ग्रांन्ट मद में अनुमानित रू0 9.00 करोड़ की धनराशि को आय में शामिल न किये जाने हेतु निर्देशित किया

	अनु0 आय : रू0 36.23 करोड़ **अनु0 व्यय : रू0 24.78 करोड़**	शुल्क एवं शासकीय ग्रान्ट मद एवं अर्जित ब्याज से आय अनुमानित की जा रही है। शेष मदों की आय विगत वर्षो की वास्तविक आय पर आधारित है। **व्यय मद :–** मुख्य रूप से वेतन मद/कार्यालय व्यय एवं विकास मदों में व्यय प्रस्तावित है। शेष मदों मे विगत वर्षो के वास्तविक व्यय पर व्यय अनुमानित किया गया है।	**गया क्योंकि यह आय विश्वविद्यालय के लिये स्वीकृति न होकर विश्वविद्यालय के माध्यम से अन्य संस्थानों को अग्रसारण हेतु प्रस्तावित है जिसमें विश्वविद्यालय इस धनराशि के वितरण हेतु केवल एक नोडल एजेन्सी मात्र है।** **अतः वित्त समिति द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 हेतु निम्नानुसार संशोधित अनुमानित आय–व्यय पर अनुमोदन प्रदान किया गया।** **अनुमानित आय : रू0 23.40 करोड़** **अनुमानित व्यय : रू0 23.13 करोड़**
बिन्दु संख्या 05	विशेष आयोजनागत सहायता अन्तर्गत (एस0पी0ए0) विश्वविद्यालय के **05 संघटक तकनीकी संस्थानों (पिथौरागढ़/गोपेश्वर/बौन उत्तरकाशी/सद्धौवाला एवं टनकपुर)** के निर्माणाधीन अनावासीय भवन निर्माण हेतु समय अवधि को दिनांक 31.03.2023 तक विस्तार हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय के 05 संघटक तकनीकी संस्थानों के निर्माणाधीन अनावासीय भवनो में महिला तकनीकी संस्थान, सुद्धौवाला एवं तकनीकी संस्थान गोपेश्वर के निर्माण कार्य लगभग पूर्ण है। शेष संस्थानों के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट प्राप्त न होने एवं अन्य कारणों से परियोजनायें पूर्ण नहीं हो पायी है एवं निर्माण कार्य बाधित है। अतः उक्त संघटक संस्थानों के शेष निर्माण कार्यो को पूर्ण किये जाने एवं पूर्ण योजनायें विधिवत् हस्तगत किये जाने हेतु समय अवधि को दिनांक 31.03.2023 तक लागत वृद्धि न किये जाने की शर्त पर विस्तारित किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।	**प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत सभी निर्माण कार्य तय सीमा अन्तर्गतपूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त योजनाओं हेतु शासन स्तर से प्राविधानित धनराशि अवमुक्त न होने व कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध न कराये जाने के कारणवश उक्त योजनायें समय पर पूर्ण नहीं हो पा रही हैं।** **अतः वित्त समिति द्वारा उक्त शेष निर्माण कार्य दिनांक 31.03.2023 तक लागत वृद्धि न किये जाने की शर्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इस विस्तारित अवधि हेतु कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 प्राप्त किये जाने एवं निर्माण कार्यो का समय–समय पर मूल्यांकन किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया।**
बिन्दु संख्या 06	शत–प्रतिशत यू0टी0यू0 निधि से निर्मित/निर्माणाधीन 09 कार्यो **(गोपेश्वर सस्थान हेतु प्री0फैब स्ट्रक्चर/स्ट्रक्चर तक पहुँच मार्ग/ यू0टी0यू0 साईनेज कार्य/ पॉलिटैक्निक परिसर जीर्णोद्वार/ यू0टी0यू0 चाहरदीवारी निर्माण/ यू0टी0यू0 ऑडिटोरियम निर्माण/**	विश्वविद्यालय एवं संघटक संस्थानों की तत्कालीन आवश्यकता के दृष्टिगत समय–समय पर वित्त समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में यू0टी0यू0 निधि से 09 निर्माण कार्य सम्पादित करायें गये थे । इन समस्त कार्यो पर वित्त समिति की 17वीं बैठक के	**वित्त समिति द्वारा चर्चा उपरांत शेष कार्यो को पूर्ण कराने एवं निर्मित योजनायें विधिवत् हस्तगत किये जाने हेतु दिनांक 31.03.2023 तक अवधि विस्तारण के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।** **साथ ही इस क्रम में कार्यदायी संस्था से इस आशय का एक अण्डरटैकिंग लिये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया**

	लैण्ड स्कैपिंग कार्य/ म0त0स0 हेतु वर्कशॉप निर्माण एवं मा0 कुलपति आवास निर्माण कार्य) की समय अवधि को दिनांक 31.03.2023 तक विस्तारित किये जाने एवं उक्त योजनाओ हेतु शेष धनराशि का भुगतान किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।	एजेण्डा बिन्दु संख्या 05 पर अनुमोदन प्रदान किया जा चुका हैं जिन पर कार्यपरिषद की 11वीं बैठक दिनांक 05.05.2022 से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। सभी योजनायें पूर्ण है एवं प्रयोग में है। अतः शेष सभी औपचारिकताओं की पूर्ति एवं योजनाओं की विधिवत् हस्तांतरण हेतु उक्त योजनाओं पर दिनांक 31.03.2023 तक समय अवधी विस्तारित किये जाने एवं उक्त कार्यो के सापेक्ष शेष धनराशि का भुगतान सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति में प्रस्तुत किया जा रहा है।	**कि कार्यदायी संस्थायें उक्त विस्तारित अवधि अन्तर्गत सभी योजनायें पूर्ण/हस्तगत कर देगीं।**
बिन्दु संख्या 07	विश्वविद्यालय पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत :– **सत्र 2022–23 से पी0एच0डी0 शोधार्थियों से नामांकन शुल्क के रूप में रू0 2000 लागू किया जाना प्रस्तावित है। यह धनराशि केवल एक बार देय होगी।**	विश्वविद्यालय द्वारा अन्य समस्त पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्र/छात्राओं से भी नामांकन शुल्क लिया जाता है। अतः पी0एच0डी0 हेतु नये प्रवेशित शोधार्थियें से भी नामांकन शुल्क के रूप में **रू0 2000** की धनराशि प्राप्त किये जाना प्रस्तावित है।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।**
	थिसिस मूल्यांकन हेतु मूल्यांकनकर्ता का मानदेय रू0 4000/– के स्थान पर रू0 5000/– किया जाना प्रस्तावित है।	देश के आई.आई.टी., एन.आई.टी. एवं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में मौखिक परीक्षा एवं मूल्यांकन से सम्बन्धित मानदेय उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से अधिक दिया जाता है जिस सम्बन्ध में परीक्षकों/विशेषज्ञों द्वारा समय–समय पर उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया जाता रहा है तथा समकक्ष मानदेय दिये जाने हेतु निवेदन किया जाता है। अतः थिसिस मूल्यांकन शुल्क **रू0 5000** किये जाने का प्रस्तावित है।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।**